

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर


आज्ञा

क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.)/स.प.अ./ 60 /2022 दिनांक : 13.04.2022

श्रीमती यारिमन खान (RJ1089), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर को दिनांक 18.04.2022 से 22.04.2022 तक 05 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 17.04.2022 एवं 23.04.2022 से 24.04.2022 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती खान की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर के पद पर ही होने की संभावना है।


आज्ञा से  
  
रजिस्ट्रार (विगीकरण) 13.04.2022

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/77/2016/2862

दिनांक : 13.04.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता को उनके पत्रांक 1905 दिनांक 06.04.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती यारिमन खान (RJ1089), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर।

  
13.4.2022  
सहायक रजिस्ट्रार